"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2002—अग्रहायण 1, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-2-18/2002/1-8.—श्री रामप्रकाश, भा.व.से., स्थानापन्न विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के अवकाश की अवधि के लिए उनका कार्य श्री धीरेन्द्र शर्मा, मुख्य वन संरक्षक, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1478/2002/1-8/स्था.—श्री डी. एस. त्रिपाठी, मुख्य

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 6-11-2002 से 15-11-2002 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16 एवं 17-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री त्रिपाठी को पुनः छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री त्रिपाठी को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. श्री त्रिपाठी के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एस. एन. ओझा, लेखा अधिकारी अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य लेखा अधिकारी का भी कार्य संपादित करेंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस. त्रिपाठी, मुख्य लेखा अधिकारी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1480/2002/1-8/स्था.—श्री बी. के. सिन्हा, अवर सचिव को दिनांक 15-4-2002 से 12-7-2002 तक 89 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14-7-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा को पुनः लोक निर्माण विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री सिन्हा को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. सिन्हा, यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1483/2002/1-8/स्था.—श्री स्टीफन खलखो, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 6-11-2002 से 30-11-2002 तक 25 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 1-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री स्टीफन खलखो को पुनः उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. श्री खलखो के अवकाश की अवधि में उनका कार्य श्री पी. सी. सूर्य, उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

4. अवकाश अवधि में श्री स्टीफन खलखो को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री स्टीफन खलखो, उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक 1486/2002/1-8/स्था.—श्री जयसिंह म्हस्के, (भावसे) उप-सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 6-11-2002 से 15-11-2002 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 3,4,5, 16 एवं 17-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव को पुनः वन एवं संस्कृति विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री म्हस्के को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ ए 8-1/2001/एक (1).—इस विभाग के आदेश क्रमांक 192 ए/साप्रवि/2000, दिनांक 13-11-2000, क्रमांक 768/742/साप्रवि/एक (1), दिनांक 12-2-2001, क्रमांक 4473/742/साप्रवि/2001, दिनांक 30 जून 2001 एवं क्रमांक एफ ए

8-1/2001/एक (1), दिनांक 27 जून, 2002 को अधिक्रमित करते हुए जिला योजना समिति की अध्यक्षता करने और जनसंपर्क तथा जन समस्याओं के निराकरण के लिए मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये जिलों का प्रभार कॉलम 3 के अनुसार सौंपा जाता है :—

स.क्र. (1)	मंत्री/राज्य मंत्री के नाम/विभाग (2)	प्रभार के जिले का नाम (3)
1.	श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री (मान. मोहम्मद अकबर, राज्य मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मुख्यमंत्री जी से संबद्ध).	रायपुर
2.	श्री महेन्द्र कर्मा, मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग.	धमतरी
3.	श्री अमितेष शुक्ल, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास.	महासमुन्द
4.	श्री रामपुकार सिंह, मंत्री खनिज साधन एवं जनसंपर्क.	रायगढ़
5.	श्री डेहरू प्रसाद धृतलहरे, मंत्री वन	जशपुर
6.	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, मंत्री सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	सरगुजा
7.	श्री धनेन्द्र साहू, राज्य मंत्री (स्व. प्रभार), पर्यटन, संस्कृति.	राजनांदगांव
8.	श्री गंगूराम बघेल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	बस्तर
9.	डॉ. शक्राजीत नायक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन.	जांजगीर-चांपा
10,	श्री मनोज सिंह मंडावी, राज्य मंत्री, निर्माण पर्यावरण एवं नगरीय विकास, विधि एवं विधायी कार्य, गृह.	बिलासपुर
11.	श्री विधान मिश्रा, राज्य मंत्री उद्योग तथा कृषि.	कोरबा
12.	श्री बदरूद्दीन कुरैशी, राज्य मंत्री आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग.	कवर्धा
13.	श्री ताम्रध्वज साहू, राज्य मंत्री जल संसाधन, ऊर्जा तथा शिक्षा विभाग.	कांकेर
14.	श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, राज्य मंत्री खनिज, जनसंपर्क तथा वित्त विभाग.	दुर्ग
15.	श्री तुलेश्वर सिंह, राज्य मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास विभाग.	दंतेवाड़ा
16.	श्री विक्रम भगत, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, वन तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	कोरिया

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ. ए. 4-22/2002/1/एक.—श्री पी. सी. नायक, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 30-9-2002 से 4-10-2002 तक 5 दिवस तक पूर्ण वेतन, भत्तों सहित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक बी-1/24/02/4/एक.—राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सामने अंकित कालम-4 में उल्लेखित पद एवं स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	वर्तमान पद एवं पदस्थापना स्थान	पद एवं पद-स्थापना स्थान जहां पदस्थ किया जा रहा है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अनिल टुटेजा, राज्य प्रशासनिक सेवा (प्र. श्रे.).	विशेष सहायक, मा. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	उप-सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
2.	श्री बी. एल. बंजारे रा.प्र.से. (प्र. श्रे.).	विशेष सहायक, मा. मंत्री जी, वन विभाग.	उप-सचिव, शिक्षा विभाग.
3.	सुश्री ओमेगा युनाइस टोप्पो, रा.प्र.से. (प्र. श्रे.).	उप-सचिव, शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग.	उप-सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण, विभाग.
4.	श्री छतरसिंह डेहरे, रा.प्र.से. (व. श्रे.).	अवर सचिव, मंत्रालय.	अवर सचिव, शिक्षा विभाग.

2. क्रमांक बी-1/24/02/4/एक.—श्री मनोहर पाण्डेय (भा.प्र.से.) संयुक्त सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सुश्री ओमेगा युनाइस टोप्पो (रा.प्र.से.) द्वारा उप-सचिव, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण करने फलस्वरूप महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

3. क्रमांक बी-1/24/02/4/एक.—राज्य शासन द्वारा, श्री मंशाराम ठाकुर (भा. प्र. से.) संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्य के साथ-साथ, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग (राहत कार्य हेतु राहत आयुक्त के अधीन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2002

क्रमांक 1529/अपां./ऊ.वि./2002.—राज्य शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 42/अपां./ऊ. वि./2002, दिनांक 12 अप्रैल 2002 द्वारा 6 मेगावॉट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी (क्रेडा) को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है.

उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा 6 मेगावॉट के स्थान पर 10 मेगावॉट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी (क्रेडा) को नोडल एजेन्सी घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 193/255/ऊर्जा/2002.—भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम, 4-ए के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे बताये अधिकारियों को उनके सामने बताये गये नियमों के लिये प्राधिकृत करता है :—

1.	सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	5(3), 5(4), 9, 10, 32(1) (सी), 49(1), 61 (6).
2.	कनिष्ठ यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं कनिष्ठ सहायक विद्युत निरीक्षक.	5(4), 9, 49(1), 61(6),
3.	पर्यवेक्षक.	5(4), 9, 49(1), 61 (6).

Raipur, the 26th October 2002

No. 193/255/Energy/2002.—In exercise of the power conferred by sub-rule (2) of rule 4-A of the Indian Electricity Rules, 1956, the State Government hereby authorises the following Officers for the purposes of the rule indicated against them :—

(1)	Assistant Engineer (Electrical Safety) and Assistant Electrical Inspector.	5(3), 5(4),9, 10,32(i) (c), 49(i), 61(6).
(2)	Junior Engineer (Electrical Safety) and Junior Assistant Electrical Inspector.	5(4),9, 49(i), 61(6).
(3)	Sub-Engineer.	5(4), 9, 49 (i), 61 (6).

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 195/256/ऊर्जा/2002.—छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विद्युत निरीक्षकालय के पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता है.

अनुसूची

1. विद्युत निरीक्षक-अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक.
2. कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक.
3. सहायक यंत्री (विसु) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.
4. कनिष्ठ यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं कनिष्ठ सहायक विद्युत निरीक्षक.
5. उपयंत्री.
6. लेखाधिकारी.
7. वरिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक.
8. अधीक्षक.
9. मुख्य लिपिक.
10. कनिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक.

Raipur, the 26th October 2002

No. 195/256/Energy/2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the M. P. Electricity Duty Act, 1949 (X of 1949), the State Government hereby appoints the officers of the Electrical Inspectorate specified in the schedule below to be "Inspectors" for the purpose of said act :—

SCHEDULE

1. Electrical Inspector-Superintending Engineer (Electrical safety) and Dy. Chief Electrical Inspector.
2. Executive Engineer, (Electrical Safety) and Divisional Electrical Inspector.
3. Assistant Engineer (Electrical Safety) and Assistant Electrical Inspector.
4. Junior Electrical Engineer (Electrical Safety) and Junior Assistant Electrical Inspector.
5. Sub Engineer.
6. Account Officer.
7. Senior Electricity Duty Auditor.
8. Superintendent.
9. Head Clerk.
10. Junior Electricity Duty Auditor.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 197/254/ऊर्जा/2002.—भारतीय विद्युत नियम, 1956 नियम-4 ए के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को विद्युत निरीक्षक का सहायक नियुक्त करता है :—

1.	कार्यपालन यंत्री (विसु) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक.	जिस सीमा तक वे विद्युत निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं उसे छोड़ते हुए अन्य सभी कार्यों के लिये.
2.	सहायक यंत्री (विसु) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	सभी कार्यों के लिये

3. कनिष्ठ यंत्री (विसु) एवं कनिष्ठ सहायक विद्युत निरीक्षक. सभी कार्यों के लिये

4. उपयंत्री (पर्यवेक्षक). सभी कार्यों के लिये

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2002

क्रमांक 4138/ऊ.वि./2002.—भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 की संख्या 9) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से परामर्श उपरांत मेसर्स छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड को उनके 24.5 मेगावाट स्थापित क्षमता (1 × 24 मेगावॉट टी.जी. सेट + 500 के.व्ही.ए. डी.जी.सेट) के केप्टिव संयंत्र से अपनी सिस्टर कन्सर्न मेसर्स रायपुर एलॉयज एण्ड स्टील लिमिटेड जिला-रायपुर को अधिकतम दस (10) मेगावॉट विद्युत प्रदाय हेतु अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान करती है :—

(1) अविभाजित म. प्र. विद्युत मण्डल द्वारा मेसर्स छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड को कंपनी के 24.5 मेगावॉट स्थापित क्षमता (1 × 24 मेगावॉट टी.जी.सेट + 500 के.व्ही.ए. डी.जी.सेट) के केप्टिव संयंत्र हेतु विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 44 के अंतर्गत जारी अनुमति क्रमांक 05-01/GC/1455/3005 जबलपुर दिनांक 24-6-2000 में निहित सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा.

(2) संयंत्र के संचालन/संधारण व 11 के.व्ही. विद्युत लाइन के द्वारा विद्युत पारेषण हेतु सभी सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति आवेदक द्वारा प्राप्त की जायेंगी.

(3) विद्युत प्रदाय के प्रारंभ होने की लिखित सूचना आवेदक द्वारा मण्डल व विद्युत निरीक्षकालय को दी जायेगी.

(4) यह अनुमति आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक डी-6887/2619/21-ब (छ.ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कल्याण सिंह कुर्रे, अधिवक्ता, मुंगेली को फास्ट ट्रेक कोर्ट, मुंगेली जिला बिलासपुर में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आए, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक डी-6890/2619-21-ब (छ.ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री देवेन्द्रकुमार पाण्डे, अधिवक्ता, मुंगेली को फास्ट ट्रेक, कोर्ट, मुंगेली जिला बिलासपुर में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आए, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6922/2250/2002/21-ब.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पास्टर अरोज लाल डिसाइपल्स ऑफ क्राईस्ट चर्च बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और

(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण पत्र देने हेतु) छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 6922/2250/2002/21-B.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government are pleased to grant license to the Minister of Religion Paster Arojlal Disciples of Christ Church, Bilaspur for the Bilaspur district State of Chhattisgarh.

1. The solemanise marriage, and

2. To grant certifies of marriage between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-1-6/2002/(6)/11.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 है.

   (दो) यह 1 नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्ररूप, नियम, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (राज्यपत्रित सेवा भर्ती नियम, 1985)
2.	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग सेवा श्रेणी (3) लिपिकीय भर्ती नियम, 1975.
3.	म. प्र. राज्य उद्योग सेवा (तृतीय) वर्ग कार्यपालिक भर्ती नियम, 1975.
4.	म. प्र. उद्योग संचालनालय विभाग-कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा भर्ती नियम, 1976.
5.	म. प्र. राज्य उद्योग सेवा (तृतीय वर्ग-कार्यपालिक) भर्ती नियम, 1985.
	उद्योग संचालनालय म. प्र. चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1987.
7.	मध्यप्रदेश राज्य वाष्पयंत्र, निरीक्षकालय सेवा (अराजपत्रित) भरती नियम, 1976.

(1)	(2)
8.	मध्यप्रदेश राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1977.
9.	मध्यप्रदेश राज्य बायलर निरीक्षकालय सेवा राजपत्रित भरती तथा पदोन्नति नियम, 1979.

Raipur, the 30th October 2002

No. F-1-6/2002/(6)11.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of laws order, 2002

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh, until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the Laws for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in-force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of Laws. (2)
1.	Madhya Pradesh State Industires (Gazetted) service recruitment rules, 1985.
2.	Madhya Pradesh State Industires (Class III Ministrieal) service recruitment rules, 1975.
3.	Madhya Pradesh State Industries services (Class III executive) recruitment rules, 1975.
4.	Madhya Pradesh State Industries Department work-charged and contingency-pad employees recruitment and conditions of service rules, 1976.
5.	Madhya Pradesh State Industries service (Class III executive) recruitment rules, 1985.
6.	Directorate of Industries Madhya Pradesh Class IV service recruitment and promotion rules, 1987.
7.	Madhya Pradesh State Boiler Inspectorate (Non-Gazetted) recruitment rules, 1976.
8.	Madhya Pradesh State Boiler Inspectorate Class-IV recruitment rules, 1977.
9.	Madhya Pradesh State Boiler Inspectorate service Gazetted recruitment and promotion rules, 1979.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक 2643/1663/02/वा. उ.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (दो) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, नियम, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

क्र. (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969.
2.	मध्यप्रदेश मितिपयोजक नियम, 1959.
3.	मध्यप्रदेश बायलर परिचारक नियम, 1958.
4.	मध्यप्रदेश बायलर चालन इंजीनियर नियम, 1968.

Raipur, the 31st October 2002

No. 2643/1663/02/वा. उ.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (a) This order may be called the adaptation of laws order, 2002.

   (b) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh, until repealed or amended. Subject to the modification that in all the Laws for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in-force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	Madhya Pradesh Boilers Rules, 1969.
2.	Madhya Pradesh Economiser Rules, 1959.
3.	Madhya Pradesh Boilers Attendants Rules, 1958.
4.	Madhya Pradesh Operation Engineers Rules, 1968.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 1-6/2002 (6)/11.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(दो) यह 1 नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई [illegible] (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, नियम, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

क्र. (1)	विधियों के नाम (2)
1.	राज्य लागत पूंजी अनुदान योजना 1989 व उसके अंतर्गत बनाये गये नियम.
2.	ब्याज अनुदान योजना व उसके अंतर्गत बनाये गये नियम.
3.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयरेशन प्रतिपूर्ति अनुदान योजना व उसके अंतर्गत बनाये गये नियम.
4.	आई. एस. ओ.-9000 प्रतिपूर्ति अनुदान योजना व नियम यथा संशोधित.
5.	मध्यप्रदेश सार्वजनिक उपक्रम (विशेष उपबंध अधिनियम, 1978) 1978 का 32.
6.	इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, टेलिकम्यूनिकेशन इक्विपमेन्ट्स एण्ड इंस्ट्रूमेन्ट्स एण्ड फुड प्रोसेसिंग उद्योगों से संबंधित सूची पृथक् वित्त आगम की अधिसूचना क्रमांक 16-6-89-XI B-20 दिनांक 17-7-1989.
7.	सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों से संबंधित सूची (अधिसूचना क्रमांक 16-8-11/डी/99 दिनांक 28-1-2000).
8.	उद्योग विहीन विकास खण्डों की सूची (संचालनालय का प्रशासकीय आदेश क्रमांक 33/विसहा-5-94-6587-6643).
9.	थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत घोषित उत्पाद (अधिसूचना क्रमांक ए-3-96-95-एस टी-V (99), दिनांक 12-11-1997).
10.	रु. 1000 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली एकीकृत स्टील प्लांट की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना (अधिसूचना दिनांक 27-6-1992).
11.	म. प्र. उद्योग (शेड, प्लाट एवं भू-आबंटन नियम-1974 व उनमें हुए संशोधन).
12.	औद्योगिक शेडों को भाड़ा क्रय पद्धति द्वारा प्रदाय करने की योजना व उसमें हुए संशोधन.
13.	औद्योगिक विकास केन्द्रों में भूमि की व्यवस्था.
14.	औद्योगिक क्षेत्रों/इण्डस्ट्रीयल इस्टेट का औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को हस्तांतरण व इसके अंतर्गत नियम.
15.	विद्युत अनुदान योजना-1989.
16.	केप्टिव प्रयोग के लिये जनरेटिंग सेट की स्थापना करने की योजना-1982.
17.	लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिये प्रदूषण नियंत्रण की अनुदान योजना.
18.	बीमार लघु उद्योगों के लिये मार्जिन मनी योजना.

(1)	(2)
19.	बीमार इकाइयों के पुनर्वास के लिये पॉलिसी पैकेज (आदेश क्र.-13-13-88/11/बी, दिनांक 29 जून 1988).
20.	म. प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों को दिये गये अधिकारों के संबंध में.
21.	एनवायरमेंटल क्लियरेंस (एनवायरमेंटल गाइड लाइन्स फार साइटिंग आफ इण्डस्ट्रीज).
22.	मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 3959/सीएस/32/89 दिनांक 20 जुलाई, 1989 के तहत गठित अंतर विभागीय राज्य स्तरीय समिति.
23.	एनवायरमेन्टल/साइट क्लियरेंस फार इण्डस्ट्रीज फारमुलेशन आफ पॉलिसी फॉर एस.एस.आई. यूनिट (आर्डर नम्बर 17/94/85/11-बी दिनांक 27-5-1987 व 27-5-1988).
24.	फेसिलिटी आफ एक्जेमशन फॉर पेमेंट आफ अर्नेस्ट मनी बाय एस.एस.आई. यूनिट्स इन स्टेट गवर्नमेन्ट परचेज प्रोग्राम.
25.	ल्यूब्रीकेटिंग आयल एण्ड ग्रीसेस (प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड रेग्यूलेशन आर्डर 1987).
26.	म. प्र. औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 कंडिका क्रमांक 2.2 (99 वर्ष के पट्टे पर भूमि/शेड का आबंटन).
27.	औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 के बिन्दु क्रमांक 2.3 (99 वर्ष के पट्टे पर भूमि/शेड का आबंटन).
28.	म. प्र. भूमि/शेड आबंटन नियम 1974 में संशोधन भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराना.
29.	सामाजिक एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु रियायती दर पर भूमि आबंटन.
30.	औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 की कंडिका क्रमांक 2.15 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकास केन्द्रों में प्रदान की जा रही सुविधाएं निरंतर रखी जावेगी, निजी संस्थाओं को भी व्यावसायिक आधार पर यह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित किया जावेगा. (आदेश क्रमांक एफ-16/53/11/बी/94 दिनांक 26 जून 1994).
31.	आदर्श औद्योगिक नगर का निजी क्षेत्र में विकास (आदेश क्रमांक एफ-16/61/11/बी/94 दिनांक 9-11-1994).
32.	अति लघु एवं लघु उद्योग के लिये विकास केन्द्र की स्थापना (आदेश क्रमांक एफ-16/59/11/बी/94 दिनांक 22-10-1994).
33.	औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 की कंडिका क्रमांक 2.19 (आदेश क्रमांक 16/60/11/ब/1994 दिनांक 1-11-1994) (लघु विकास केन्द्रों के विकास हेतु स्वीकृति).
34.	हीरा तराशने के उद्योगों को प्रोत्साहन तथा डायमण्ड पार्क की स्थापना 2.22 (आदेश क्रमांक एफ-16/63-94/11/ब दिनांक [illegible] 2-1995).
35.	विद्युत उत्पादन के लिये नये उद्योगों को सुविधा (आदेश क्रमांक-एफ-16-3/94/11/ब दिनांक 15 जून 1994).

(1)	(2)
	औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 की कंडिका क्रमांक 5.7 "उद्योग विहीन विकास खण्ड" (आदेश क्रमांक-एफ-16-66/94/11/ब दिनांक 14-7-1995).
37.	औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 की कंडिका क्रमांक 5.28 सौ करोड़ रु. या इससे अधिक किन्तु पांच सौ करोड़ रु. से कम की पूंजी वेष्ठन से स्थापित होने वाले समस्त प्रकार के नये उद्योगों हेतु विशेष सुविधा योजना "सौ करोड़ प्लस" (आदेश क्रमांक-एफ-16-65/11/बी/94 दिनांक 26-5-1995).
38.	औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 की कंडिका क्रमांक 5.27 "पांच सौ करोड़ प्लस" (आदेश क्रमांक-एफ-16/4/94/11/बी दिनांक 6-8-1995).
39.	औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 की कंडिका क्रमांक 5.28 दस करोड़ या इससे अधिक किन्तु सौ करोड़ रु. के पूंजी वेष्ठन से स्थापित होने वाले समस्त प्रकार के नये उद्योगों हेतु विशेष सुविधा दस करोड़ प्लस (आदेश क्रमांक-एफ-16/65/94/11/बी दिनांक 26-5-1995).
40.	औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994/ब्याज अनुदान योजना के संबंध में (आदेश क्रमांक-एफ-16/2/94/11/बी दिनांक 20-7-1994).
41.	निर्यातक/शत प्रतिशत निर्यातक तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु विशेष योजना (आदेश क्रमांक-एफ-17/20/91/11/बी दिनांक 28-12-1994).
42.	नियमित वृद्धि हेतु आई.एस.ओ.—9000 की मान्यता व अनुदान योजना के संबंध में (आदेश क्रमांक-एफ-16/5/94/11 ब/दिनांक 13-12-1994).
43.	राज्य लागत पूंजी अनुदान योजना 1989 विद्युत अनुदान योजना 1989 व प्रभावी कदमों के संबंध में प्रशासकीय आदेश (आदेश क्रमांक-एफ-18/1/94/11/ब दिनांक 31-5-1994).
44.	कृषि एवं शहरी अनुपयोगी पदार्थों के प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना (आदेश क्रमांक-एफ-16/31/94/11/ब दिनांक 9-11-1994).
45.	भंडार क्रय नियमों के संशोधन (आदेश क्रमांक-एफ-13/8/94/11/अ दिनांक 24-5-1994).
46.	क्रय नियमों के संशोधन (आदेश क्रमांक-एफ-12/14/94/11/अ दिनांक 24-9-1994).
47.	शासकीय उपयोग में आने वाली सामग्री के क्रय में मध्यप्रदेश में स्थापित मध्यम एवं वृहद् औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता (आदेश क्रमांक-एफ-12/2/94/11/अ दिनांक 5-4-1995).
48.	औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 की कंडिका क्रमांक 7.6 "लघु उद्योग इकाइयों को निर्धारित समय के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया. जावेगा उद्योग संचालनालय में अधिकारियों एवं संघों के प्रतिनिधियों की एक समिति प्रत्येक त्रैमास में विलंबित भुगतान के प्रकरणों की समीक्षा करेगी. यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे प्रकरणों से मुख्य सचिव को सूचित किया जावेगा" (आदेश क्रमांक-एफ-16/11/11/बी/94 दिनांक 23 जून 1994).

(1)	(2)
49.	मध्यम एवं वृहद उद्योगों के विकास हेतु नोडल एजेन्सी की नियुक्ति (आदेश क्रमांक-एफ-16/50/11/बी/94 दिनांक 23-6-1994).
50.	इलेक्ट्रानिक उद्योगों का विकास (आदेश क्रमांक-एफ-16/10/94/11/बी दिनांक 25-6-1994).
51.	जिला उद्योग केन्द्रों की नई रूप रेखा व कार्य प्रणाली-सुदृढ़ एकल खिड़की प्रणाली (आदेश क्रमांक-एफ-23/सम/(13)/1994 दिनांक 25 जुलाई 1994).
52.	नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में (आदेश क्रमांक-एफ-206/11/94/बी दिनांक 2-2-1994).
53.	उद्योगों को दी जाने वाली भूमि की प्रीमियमों की दरों का निर्धारण (आदेश क्रमांक-एफ-अधोविक/2/92/4285/4348 दिनांक 23-5-1992).
54.	उद्योगों को दी जाने वाली भूमि की प्रीमियम एवं भू-भाटक के किराये का पुनर्निर्धारण बाबत (आदेश क्रमांक-एफ-11-14/94/11/बी दिनांक 4 मई 1995).
55.	निजी भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित भू-स्वामियों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में (आदेश क्रमांक-एफ-अधेविक/भूअ/2/92/2024/213 दिनांक 22 मार्च 1993).
56.	निजी भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रमाणित भू-स्वामियों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में (आदेश क्रमांक-अद्ध पत्र क्रमांक 218/4193/डी/11/92 दिनांक 1-2-1993).
57.	50 लाख रु. से अधिक पूंजी निवेश वाले इलेक्ट्रानिक उद्योगों को विक्रय कर/वाणिज्य कर की सुविधा दिये जाने बाबत (आदेश क्रमांक-एफ-16/36/11/डी/94 दिनांक 7-10-1995).
58.	प्रदेश में अग्रणी उद्योगों को विक्रय कर सुविधा के संबंध में (आदेश क्रमांक-एफ-16-2/11/बी/95 दिनांक 7-3-1995).
59.	प्रदेश में अग्रणी उद्योगों को विक्रय कर सुविधा के संबंध में (आदेश क्रमांक-एफ-16-2/11/ब दिनांक 12-4-1995).
60.	प्रदेश में अग्रणी उद्योगों को विक्रय कर सुविधा के संबंध में (आदेश क्रमांक-एफ-16-2/11/बी/95 दिनांक 22-6-1995).
61.	प्रदेश में अग्रणी उद्योग को विक्रय कर सुविधा के संबंध में (आदेश क्रमांक-एफ-16-2/11/बी/95 दिनांक 19-7-1995).
62.	औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 की कंडिका क्रमांक 5.7 में उद्योग विहीन विकास खण्डों की सूची (आदेश क्रमांक-एफ-16/66/11/बी/95 दिनांक 17-6-1996).
63.	शासकीय उपक्रमों द्वारा भी भंडार क्रय नियमों के पालन के संबंध में (आदेश क्रमांक-एफ-5/82/11/ब दिनांक 15 फरवरी)

(1)	(2)	
[illegible].	अधिनियम	
	अ-	मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974.
	ब-	मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली संशोधन अधिनियम, 1978.
	स-	मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली संशोधन अधिनियम; 1983.
	द-	मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली नियम, 1975.
	ई-	मध्यप्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1969.
	फ-	मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध अधिनियम, 1978).

Raipur, the 31st October 2002

No. F-1-6/2002 (6)/11.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of laws order, 2002

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh, until repealed or amended. Subject to the modification that in all the Laws for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of the Laws (2)
[illegible]	State Capital Subsidy Scheme and State Investment Subsidy Sanction Rules, 1989.
2.	Interest Subsidy Scheme and Rules for Disbursement of Interest Subsidy
3.	Scheme for Reimbursement of East of Project Report Preparation.

(1)	(2)
4.	State Government Scheme for reimbursement of expenses of ISO 9000 certification..
5.	State Public Undertaking (Special Provision Act, 1978) 32 of 1978.
6.	List of Electronic goods Telecommunication Equipments and Instruments and products of Food processing (Notification No. 16-06-89 XI B- dated 17th July, 1989.
7.	List of Information Technology goods (Notification No. 16-8-11/D/99, Dated 28th January, 2000.
8.	List of No Industry Development Blocks (Directorate Order No. 33/FA-5-94-6587-6643, Dated 5-11-1997).
9.	Products specified for Thrust Sector (Notification No. A-3-96-95-ST-V (99) Dated 12-11-1997).
10.	Rs. 1000 Karoda Se Adhika Punji Nivesa Vali Ekikrit Stila Plalnta Ki Sthapana Hetu Vises Protsahan Yojana. Adhisuchana Dinanka 27-6-1992.
11.	Madhya Pradesh Industries (Shed, Plot and Land Allotment Rules, 1974 and Amendments).
12.	Oudyogika Sedon Ko Bhacha KrayaPaddhiti Dvara Pradana Karanne Ki Yojana Va Usamen Hue Sansodhana.
13.	Oudyogika Vikasa Kendron Men Bhumi Ki Vyavasta.
14.	Oudyogika Ksetron/Industrial Estate Ka Oudyogika Kendra Vikasa Nigamon Ko Hastantaran Va Inake Antargata Niyama.
15.	Vidyuta Anudana Yojana 1989.
16.	Scheme of Concession, 1982 for Installing Generating Sets for Captive use by Industrial units.
17.	Scheme of subsidy for Control of Pollution in the Small and Medium Scale Industrial Units.
18.	Scheme For Margin Money to the sick Small Scale Industries.
19.	Bimara Ikaiyon Ke Punravasa Ke Liye Polisi Paikeja Adesa Kramanka 13. 23, 88/11/Bi, Dinanka 29th June 1988.
20.	Madhya Pradesh Sasana Vitta Vibhaga Dvara Udyoga Vibhaga Ke Adhikariyon Ko Diye Gaye Adhikaron Ke Samabandha Men.
21.	Environmental Clearance (Environmental Guidelines for sitting of Industries).
22.	Madhya Pradesh Sasana Avasa Evam Prayavarana Vibhaga Bhopal Dvara Adesa Kramanka 3959/Si. Esa/32/89, Dinaka 20 June 1989 Ke Tahata Gathita Antra Vibhagiya Rajya Stariya Samiti.
23.	Environmental/Site Clearance for Industries formulation of Policy for Small Scale Units (Order No. 17/94/[illegible] 11-B, Dated 27th May, 1987 and 27th May, 1988).
24.	Facility of Exemption for Payment of Earnest Money by Small Scale Units in State Government Purchase Programme.

(1)	(2)
[illegible]	Lubri Kething Ayala Enda Grisesa, Prosessinga Distribution Enda Regulation Ardara, 1987.
26.	Madhya Pradesh Oudayagika Niti Evam Karya Yojana 1994 Kandika Kramaka 2.2 99 Varsa Ke Patate Para Bhumi/shed Ka Abantana.
27.	Oudyagika Niti Evam Karya Yojana, 1994, Ke Bindu Kramanka 2.3 99 varsa Ke Patate para Bhumi Shed Ka Abantona.
28.	Madhya Pradesh Bhumi/Seda/Abathana Niyam, 1974 Men Sansodhana Bhumi Adhigrihana Ke Phalasvarupa Prabhavita Vyaktiyon Ke Parivara Ke Sadasyon Ko Rojgara Upalabdha Karana.
29.	Samazjika Evam Adhosanrachanatmaka Suvidhaon Ke Vikasa Hetu Riyayati Dara para Bhumi Abantana.
30.	Oudyogika Niti Evam Karya Yojana 1994 Ki Kandika Kramanka 2.15 Oudyogika Kendra Vikasa Nigama Dvara Vikasa Kendron Men Pradan Ki Ja Rahi Suvidhoen Nirantara Rakhi Javegi. Niji Sanshaon Ko Bhi Vyavasika Adhara Para Ye Samuvidhaon Upalabdha Karane Ke Liye Protsahit Kia Javega Adesa Kramanka Epha-16/53:11/Bi/94 Dinaka 26 Juna 1994.
31.	Adarsa Oudyogika Nagara Ka Niji Ksetra Men Vikasa Adesa Kramanka Epha-16/61/11/Bi/94 Dinaka 9-11-1994.
32.	Ati Laghu Evam Laghu Udyogon Ke Liye Vikasa Kendron Ki Sthapana Adesa Kramanka Epha-16-59-11/Bi/94, Dinanka 22-10-1994.
33.	Oudyagika Niti Evam Karya Yojana 1994 Ki Kandika Kramanka 2.19 Adesa Kramanka 16/60/11/Ba/94 Dinaka 1-11-1994 Laghu Vikas Kendron Ki Sthapana Hetu Svikriti.
34.	Hira Tarasane Ke Udyogon Ko Protsahana Tatha Dayamanda Parka Ki Sthapana Adesa Kramanka Epha-16-63-94-11, Ba Dinaka 10-2-1995.
35.	Vidyuta Utapadna Ke Liya Naye Udyongon Ko Suvidha Adesa Kramanka Epha-16/3/94/Ba Dinaka 15 Juna 1994.
36.	Oudyogika Niti Evam Karya Yojana 1994 Ki Knadika Kramanka 5.7 Udyoga Vihina Vikasa Khanda Adesa Kramanka Epha-16/67/94/11/Ba, Dinaka 14-7-1995.
37.	Oudyogika Niti Evam Karya Yojana 1994 Ki Kandika Kramanka 5.28 Sau Karoda Ru. Ya Isase Adhika Kintu Pancha Sau Karoda Ru. Se Kama Ke Punji Vesthana Se Sthapita Hone Vale Samasta Prakara Ke Naye Udyogon Hetu Visesa Suvidha Yojana Sau Karoda Plasa Adesa Kramanka Epha-16-65-11-Bi-94, Dinaka 26-5-95.
38.	Oudyogika Niti Evam Karya Yojana 1994 Ki Kandika Kramanka 5.27 Pancha Sau Karoda Plasa Adesa Kramanka Epha-16/4/94/11/Bis Dinanka 6-8-1995.
[illegible]	Oudyogika Niti Evam Karya Yojana 1994 Ki Knadika Kramanka 5.28 Dasa Karoda Ya Isase Adhika Kintu Sau Karoda Rupaye Ke Punji Vesthana Se Sthapita Hone Vale Samasta Prakara Ke Naye Udyogon Hetu Visesa Suvidha Dasa Karoda Plasa Adesa Kramanka Epha-16-65-94-11-Bi, Dinaka 26-5-1995.
40.	Oudyogika Niti Evam Karya Yojana 1994/Byaja Anudana Yojana Ke Sambandha Men Adesa Kramanka Epha-16/2/94/11/Bi, Dinaka 20-7-1994.

(1)	(2)
41.	Niryataka/Sata Pratisata Niryataka Tatha Anivasi Bhartiyon Dvara Sthapita Ikaiyon Ko Protsahana Hetu Visesa Yojna Adesa Kramanka Epha-17/20/91/11/Bi, Dinanka 28-12-1994.
42.	Niryata Men Vridhi, Hetu Ai Esa O-9000 Ki Manyata Va Anudana Yojana Ke Sambandha Men Adesa Kramanka Epha 16/5/94/11/Ba, Dinanaka 13-12-1994.
43.	Rajya Lagata Punji Anudana Yojana-1989 Vidyauta Anudana Yojana 1989 Va Prabhavi Kadamon Ke Sambandha Men Prasaskiya Adesa Kramanka Epha-18/1/94/11/Ba, Dinanka 31-5-1994.
44.	Krisi Evam Sahari Anupayogi Padartho Ke Prasanskarana Sanantron Ki Sthapana Adesa Kramanka Epha-16/31/94/11/Ba, Dinanka 9-11-1994.
45.	Bhandhara Kraya Niyamon Ke Sansodhana Adesa Kramanka Epha-13/8/91/11/A, Dinanaka 24-5-1994.
46.	Kraya Niyamon Men Sansodhana Adesa Kramanka Epha-12/14/94/11/A, Dinanka 24-9-1994.
47.	Sasakiya Upayoga Me Ane Vali Samagri Ke Kraya Men Madhya Pradesa Men Sthapita Madhyama Evam Vrihada Oudyogika Ikaiyon Ko Prathmikata Adesa Kramanka Epha-12/2/94/11/A, Dinanaka 5-4-1995.
48.	Oudyogika Niti Evam Karya Yojana 1994 Ke Kandika Kramankai 7.6 Laghu Udyoga Ikaiyon Ko Nirdharita Samaya Ke Andara Bhugetana Suntchata Kiya Jayega Udyoga Sanchalanalaya Men Adhikariyon evan Sangho Ke Pratinidhiyon Ki Eka Samiti Pratyeka Traimasa Men Vlambita Bugatana Ke Prakaranon Ki Samiksa Karegi Yadi Avasyaka Huai To Aise Prakarano Se Mukhya Sachiva Ko Suchita Kiya Jayega Adesa Kramanka Epha-16/11/11/Bi/94, Dinanka 23 Juna, 1994,
49.	Madhyama Evam Vrihada Udyogon Ke Vikasa Hetu Nodala Ejensi Ki Niyukti Adesa Kramanka Epha-16/50/11/Bi/94, Dinanka 23-6-1994.
50.	Ilektranika Udyogon Ka Vikasa Adesa Kramanka Epha-16/10/11/Bi/94, Dinanka 25-6-1994.
51.	Jila Udyoga Kendron Ki Nai Rupa Rekha Va Karya Pranali Sudrana Ekala Khidaki Pranali Adesa Kramanka Epha-23/Sayama/13/94 Dinanka, 25 Julai 1994.
52.	Nodala Adhikariyon Ki Niyukti Ke Sambandha Men Adesa Kramaka Epha-206/11/Bi/94, Dinanka 2-2-1994.
53.	Udyogon Ko Di Jane Vali Bhumi Ki Primiyama Ke Daron Ka Nirdharana Adesa Kramanka/Adhevika/2/92/4285/4348, Dinanka 23-5-1992.
54.	Udyogon Ko Di Jane Vali Bhumi Ki Primiyama Evam Bhu-Bhataka Ke Kiraya Ka Puna Nirdharana Babata Adesa Kramanka Epha-11/14/92/11/Bi, Dinanka 4 Mai 1995.
55.	Niji Bhumi Ke Adhigrahana Ke Phalasvarupa Prabhavita Bhusvamiyon Ko Rojagara Upalabdha Karane Ke Sambandha Men Adesa karamanka, Epha-Adhovica/Bhu-A/2/92/2024-213 Dinanka 22 Marcha, 1993.
56.	Niji Bhumi Ke Adhgrihana Ke Phalasvarupa Prabhavita Bhusvamiyon Ko Rojagara Upalabdha Karane Ke Sambandha Men Adesa Kramanka-Ar. P. Kramanka-218/4193/Di/11/92, Dinanka 1-2-1993.
57.	50 Lakha rupaye Se Adhika Punji Nivesa Vale Ilektranika Udyogon Ko Vikraya Kara Vanijika Karon Ki Suvidha Diyejane Babata Adesa Kramanka Epha-16/36/11/Di/94, Dinanka 7-10-1995.

(1)	(2)
58.	Pradesa Men Agrani Udyogon Ko Vikraya Kara Suvidha Ke Sambhand Men Adesa Kramanka 16-2/11/Bi/ 95, Dinaka 7-3-1995.
59.	Pradesh Men Agrani Udyogon Ko Vikraya Kara Ki Suvidha Ke Sambandh Men Adesa Kramanka Epha-16/ 2/95/11/Ba, Dinanka 12-4-1995.
60.	Pradesa Men Agrini Udyogon Ko Vikarya Kara Suvidha Ke Sambandh Men Adesa Kramanak Epha-16/2/ 95/11/Bi, Dinaka 22 June 1995.
61.	Pradesa Men Agrani Udyogon Ko Vikraya Kara Ki Suvidha Ke Sambandh Men Adesa Kramanka Epha-16/ 2/95/11/Bi, Dinanka 19-7-1995.
62.	Oudyogika Niti Evam Kraya Yojana 1994 Ki Kandika Kramank 5.7 Men Udyoga Vihina Vikasa Khandon Ki Suchi Adesa Kramanka Epha-16/66/95/11/Bi, Dinaka 17-6-1996.
63.	Sasakiya Upakramon Dvara Bhandara Kraya Niyamon Men Palana Ke Sambandh Men Adesa Kramanka Epha-5/82/11/Ba, Dinaka 15 Pharvari.
64.	Adhiniyam

A- Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974.

B- Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Sansodhan Adhiniyam, 1974.

C- Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Sansodhan Adhiniyam, 1983.

D- Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1975.

E- Madhya Pradesh STATE Aid to Industries Rules, 1959.

F- Madhya Pradesh Sahayta Upkaram Adhiniyam, 1978.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	पेण्डरूवाँ प. ह. नं. 19	2.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में सहसपुरी माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	राधापुर प. ह. नं. 19	3.49	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में राधापुर माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बोरसी प. ह. नं. 20	0.76	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में गोविन्दपुर माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	पेण्डरूवॉं प. ह. नं. 19	0.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में पेण्डरूवॉं माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	हरदी प. ह. नं. 20	0.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में गोपालपुर माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिलाईगढ़ प. ह. नं. 18	2.64	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नह[illegible] बसन्तपुर माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भैंसामुहान प. ह. नं. 20	0.65	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में भैंसामुहान माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बोरसी प. ह. नं. 20	2.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में बोरसी माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	हरदी प. ह. नं. 20	1.73	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में भैंसामुहान माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोविन्दपुर प. ह. नं. 19	1.41	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नह[illegible] गोविन्दपुर माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिलाईगढ़ प. ह. नं. 18	1.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में नवागांव माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डोमनपुर प. ह. नं. 19	1.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में बोरसी माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनु[illegible] के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिलाईगढ़ प. ह. नं. 18	1.86	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में बिलाईगढ़ माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	राधापुर प. ह. नं. 19	6.33	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में पेण्डरूवां माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोपालपुर प. ह. नं. 21	0.24	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में गोपालपुर माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोपालपुर प. ह. नं. 21	0.52	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में कुंदरूझांस माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 अक्टूबर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	राधापुर प. ह. नं. 19	4.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत गोपालपुर वितरक नहर में गोविन्दपुर माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनु. अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 11904/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	भोड़िया प. ह. नं. 34/25	0.86	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	शिवनाथ व्यपवर्तन (चांदो) के शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 11905/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	भंवरमरा	0.34	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	शिवनाथ व्यपवर्तन (चांदो) के शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 1 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	छुई	31.60	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	छुई जलाशय के डूबान, पार, उलट, नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

प्र. क्र. 2 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	समनापुर	11.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	समनापुर जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 464/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82 सन्.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	कोना प. ह. नं. 132/79	3.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	केशवा नाला व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 465/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2-अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बकमा प. ह. नं. 132	3.16	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	केशवा नाला व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 अक्टूबर 2002

क्रमांक 466/अ.वि.अ./भू-अर्जन/4-अ/82 सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बकमा प. ह. नं. 132/	1.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	केशवा नाला व्यपवर्तन योजनांतर्गत बकमा माइनर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.